[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963:एस. 20 की प्रयोज्यता-विशिष्ट निष्पादन-बेचने के समझौते के निष्पादन पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष और मूल वादी-विक्रेता द्वारा मूल प्रतिवादी-विक्रेता को रुपये के आंशिक बिक्री विचार के भुगतान पर-केवल इसलिए कि दस्तावेज़ में संपत्ति की बिक्री का उद्देश्य विवाह के खर्च के लिए कहा गया था, दस्तावेज़ जिसे अन्यथा बेचने का समझौता कहा जा सकता है, वह ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज़ नहीं बन जाएगा-एक बार जब बिक्री विचार के लिए बेचने के समझौते के निष्पादन पर विश्वास किया जाता है और यह पाया जाता है कि वादी हमेशा तैयार थे और समझौते के अंतर्गत अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, तो वे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के हकदार थे -20 विशिष्ट राहत अधिनियम लागू नहीं होगा-हालांकि, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए और भारत के संविधान के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल वादी को मूल प्रतिवादियों को अतिरिक्त रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

/

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.** नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा दिनांकित **11.02.2004** समझौते के निष्पादन और विक्रेता द्वारा रु**. 3,50,000** की आंशिक बिक्री के भुगतान पर दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे।ट्रायल न्यायालय ने केवल इस आधार पर विशिष्ट

प्रदर्शन की राहत देने से इनकार कर दिया कि समझौते को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निष्पादित किया गया होगा।हालांकि, यहां तक कि ट्रायल न्यायालय ने भी विशेष रूप से यह माना कि समझौता ए के लिए वैध रूप से निष्पादित किया गया था।

/

/

798

799

किरपाल कौर और एक अन्य बनाम राइट्स और अन्य ए

बिक्री पर विचार।वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित करने से इनकार करने के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।प्रतिवादियों ने समझौते के निष्पादन और आंशिक बिक्री विचार के भुगतान पर निचली न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की।इसलिए, निचली न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि समझौते को बिक्री पर विचार के लिए वैध रूप से निष्पादित किया गया था, अंतिम रूप ले चुके हैं।**[**पैरा **5] [804-**एफ-एच**; 805-**ए-बी**]**

/

2. केवल इसलिए कि दस्तावेज़ में संपत्ति की बिक्री का उद्देश्य विवाह के खर्च के लिए बताया गया था, दस्तावेज़ जिसे अन्यथा बेचने का समझौता कहा जा सकता है, ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज़ नहीं बन जाएगा।यदि समझौते को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो यह बेचने का समझौता है।दोनों, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की ओर से मामले को सही ढंग से स्वीकार नहीं किया कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज है।विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से यह मामला कभी नहीं था कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज है।निचली न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों ने समझौते के निष्पादन और रुपये की प्राप्ति से पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिसे निचली न्यायालय ने भी सही माना था।पहले अपीलीय न्यायालय के समक्ष, पहली बार, प्रतिवादी एक मामले के साथ सामने आए कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज था।**[**पैरा **6] [805-**डी-एफ**]**

/

/

/

3. एक बार जब बिक्री पर विचार के लिए बेचने के समझौते के निष्पादन पर विश्वास किया गया और यह पाया गया कि विक्रेता और उसके बाद, मूल वादी समझौते के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थे और वास्तव में वे उप-पंजीयक के समक्ष **10.02.2005** पर उपस्थित रहे, जो स्थापित और सिद्ध किया गया था, तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ढंग से पारित की गई थी, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सही पुष्टि की गई है।तथ्यों और परिस्थितियों में, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा **20** के खंड **(**ए**)** और **(**सी**)** लागू नहीं होंगे और/या आकर्षित नहीं होंगे।हालांकि, एक ही समय में पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, मूल वादी को अतिरिक्त रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

/

/

/

अपीलार्थी-मूल प्रतिवादी, **Rs.50,000/-** के शेष बिक्री विचार के अलावा।यह आगे निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के भुगतान पर मूल प्रतिवादी-अपीलकर्ता उत्तरदाताओं-मूल वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करेंगे।**[**पैरा **7] [805-**एफ-एच**; 806-**ए-बी**]**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील सं. 1991।

/

2010 के आर. एस. ए. No.2891 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

तरुण गुप्ता, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

/

आदित्य सिंह, तथागट हर्षवर्धन, शुभम सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

/

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के आर. एस. ए. संख्या 2891 में चंडीगढ़ में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त दूसरी अपील को खारिज कर दिया है और पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की है, जिसमें दिनांकित बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत दी गई है, मूल प्रतिवादियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

वह गुरमीत सिंह, प्रतिवादियों का पूर्ववर्ती (प्रतिवादी संख्या 1 का पति और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का पिता) करनाल जिले के गांव निलोखेरी में स्थित 8 कनाल की भूमि का मालिक था और उसके कब्जे में था।कि कथित गुरमीत सिंह ने चार लाख रुपये की बिक्री पर वादी के पूर्ववर्ती के हित में जय प्रकाश के पक्ष में दिनांकित 11.02.2004 बेचने के लिए एक समझौते को निष्पादित किया।कि उक्त गुरमीत सिंह को तीन लाख पचास हजार रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।विक्रेता या उसके समनुदेशक के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए लक्ष्य तिथि शेष बिक्री विचार के भुगतान पर 10.02.2005 के रूप में निर्धारित की गई थी।समझौते में यह भी कहा गया था कि यदि विक्रेता समझौते के अपने हिस्से का पालन करने में विफल रहता है, तो विक्रेता ए को दोगुना करने का हकदार होगा।

/

/

/

न्यायालय के माध्यम से बिक्री विलेख को निष्पादित और पंजीकृत कराने के लिए वास्तविक धन या वैकल्पिक रूप से।

2.1 वादी के अनुसार, अपने जीवनकाल के दौरान, विक्रेता जय प्रकाश समझौते के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार था और उसकी मृत्यु के बाद, वादी को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रदर्शन करना था।वादियों के अनुसार, उन्होंने प्रतिवादियों से समझौते के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए संपर्क किया, दिनांकित 11.02.2004 को बेचने के समझौते के संदर्भ में, हालाँकि, प्रतिवादियों ने मामले को स्थगित करना जारी रखा।इसलिए, वादी ने

14.01.2005 दिनांकित एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें प्रतिवादियों को बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए 10.02.2005 पर उप-पंजीयक, निलोखेरी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया, जो समझौते में निर्धारित लक्ष्य तिथि थी।वादी के अनुसार, वे शेष बिक्री पर विचार और स्टांप पेपर की खरीद और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक धन के साथ उप-पंजीयक, नीलोखेड़ी के कार्यालय में 10.02.2005 पर पहुंचे।हालांकि, प्रतिवादी उप-पंजीयक के कार्यालय में नहीं आए।वादी ने उप-पंजीयक, निलोखेरी के समक्ष एक आवेदन दायर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने उस पर समर्थन किया और वादी के शपथपत्र के साथ आवेदन वापस कर दिया, जिसे उप-पंजीयक द्वारा सत्यापित किया गया था।इसके बाद वादी ने फिर से 18.02.2005 पर पंजीकृत कानूनी नोटिस दिया।उक्त नोटिस के जवाब में, प्रतिवादियों ने गुरमीत सिंह द्वारा दिनांकित 11.02.2004 को बेचने के समझौते के निष्पादन से पूरी तरह से इनकार किया।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्हें रुपये की राशि मिली है जिसका उल्लेख बेचने के समझौते में किया गया है।इसलिए, वादी ने विशिष्ट निष्पादन और स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ कब्जे के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), करनाल के न्यायालय में 2005 का दीवानी मुकदमा संख्या 681 होने के नाते मुकदमा दायर किया।2.2 प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दाखिल करके मुकदमे का विरोध किया।लिखित बयान में, मूल प्रतिवादियों ने दिनांकित 11.02.2004 को बेचने के समझौते के निष्पादन से इनकार किया।प्रतिवादियों की ओर से यह मामला था कि गुरमीत सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति था, जो बुराइयों का आदी था और उसके अंगूठे के निशान खाली कागजों पर जय प्रकाश द्वारा प्राप्त किए गए थे, जो नीलोखेड़ी में कपड़े की दुकान का मालिक था।अभियुक्तों ने रुपये प्राप्त करने से भी इनकार कर दिया। 3.50,000-गुरमीत सिंह द्वारा वादी से।दोनों पक्षों ने अपने-अपने सबूत पेश किए।

/

/

/

/

/

/

2.3 अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और पक्षकारों को सुनने पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि गुरमीत सिंह और जय प्रकाश के बीच बिक्री पर विचार करने के लिए समझौते को वैध रूप से निष्पादित किया गया था और हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि रुपये. 3,50,000-वास्तव में जय प्रकाश द्वारा भुगतान किया गया था।

/

गुरमीत सिंह ने फिर भी यह कहते हुए विशिष्ट प्रदर्शन की राहत से इनकार किया कि समझौता, एक्स। पी2, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निष्पादित किया गया हो सकता है।इसलिए, विशिष्ट निष्पादन की राहत देने के बजाय, विद्वत विचारण न्यायालय ने एक वैकल्पिक राहत के माध्यम से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बकाया राशि की वापसी के लिए एक आदेश पारित किया।

/

2.4 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, विशिष्ट निष्पादन की राहत देने से इनकार करते हुए, मूल वादी ने पहले अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील की अनुज्ञात और विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री पारित करने से इनकार करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को यह स्पष्ट रूप से देखते हुए खारिज कर दिया कि दिनांकित 11.02.2004 को बेचने के समझौते को ऋण समझौता और/या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है।

/

2.5 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसने दिनांकित 'आईडी1' को बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन से राहत प्रदान की, अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित दूसरी अपील को प्राथमिकता दी।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त दूसरी अपील को खारिज कर दिया है, जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

/

3. अपीलार्थियों-मूल प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री तरुण गुप्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि दिनांकित 11.02.2004 को बेचने का समझौता एक सुरक्षा दस्तावेज/ऋण समझौता नहीं है।

/

/

3.1 अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री तरुण गुप्ता हमें दिनांकित 11.02.2004 समझौते पर ले गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौते में ही यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि चूंकि गुरमीत सिंह की बेटी की शादी हुई थी, इसलिए राशि की आवश्यकता थी और इसलिए रु। 3,50,000-उनकी बेटी की शादी के खर्च के लिए ऋण के रूप में लिया गया था।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, 11.02.2004 दिनांकित समझौता एक ऋण समझौता/प्रतिभूति दस्तावेज था।

/

3.2 यह आगे अपीलार्थियों-मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि रु। 4,00,000-समझौते में उल्लिखित, रु। 3,50,000-को कथित तौर पर जय प्रकाश, वेंडी द्वारा भुगतान किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ए

/

803

किरपाल कौर और एक अन्य बनाम राइट्स और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जब आरोप लगाया जाता है कि पर्याप्त राशि का भुगतान बिना किसी कब्जे के किया गया था, तो समझौते को सुरक्षा दस्तावेज/ऋण समझौते के रूप में माना जाना चाहिए।

3.3 अपीलार्थियों-मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि समझौते में यह कहा गया था कि कब्जा विक्रेता को सौंप दिया गया है, प्रतिवादियों का कब्जा बना रहा और कब्जा कभी भी विक्रेता और/या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपा गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों से पता चलता है कि 11.02.2004 दिनांकित समझौता एक ऋण समझौता/प्रतिभूति दस्तावेज था।

/

3.4 अपीलार्थियों-मूल प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि वाद भूमि एक कृषि भूमि है और प्रतिवादियों और उनके परिवार के सदस्यों की आय का एकमात्र स्रोत है और इसलिए विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 पर विचार करते हुए और जब विशिष्ट निष्पादन का अनुदान एक विवेकाधीन राहत है, तो उक्त विवेकाधिकार का उपयोग प्रतिवादियों के पक्ष में किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी द्वारा मूल्यवान संपत्ति को रुपये की मामूली राशि में खरीदने की मांग की गई है। 4,00,000-केवल।

/

/

3.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाए।

/

4. मूल वादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री तथागट हर्षवर्धन ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जय प्रकाश के पक्ष में गुरमीत सिंह द्वारा निष्पादित समझौते के निष्पादन पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दी गई सभी अदालतों ने विक्रेता द्वारा विक्रेता को बिक्री के भुगतान पर भी विश्वास किया है।यह तर्क दिया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए सभी न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के उक्त निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

/

4.2 यह आगे तर्क दिया जाता है कि, इस प्रकार, निचली न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से यह मामला कभी नहीं था कि 11.02.2004 दिनांकित समझौता एक ऋण समझौता/सुरक्षा दस्तावेज था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों ने गुरमीत सिंह द्वारा दिनांकित 11.02.2004 समझौते के निष्पादन और प्राप्त होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया।

/

804

/

[2022] 1 एस सी आर।

रुपये. 3,50,000-।कि पहली बार पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों की ओर से यह मामला था कि 11.02.2004 दिनांकित समझौता एक ऋण समझौता/सुरक्षा दस्तावेज था।

4.3 यह उत्तरदाताओं-मूल वादियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि निचली न्यायालय ने भी यह माना कि गुरमीत सिंह और जय प्रकाश के बीच एक मूल्यवान विचार के लिए समझौते को वैध रूप से निष्पादित किया गया था।हालांकि, ट्रायल न्यायालय ने केवल इस आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया कि समझौते को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निष्पादित

किया गया होगा।इसलिए, विचारण न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन की राहत देने के बजाय, बकाया धन की वापसी के लिए एक आदेश पारित किया।यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादियों ने गुरमीत सिंह और जय प्रकाश के बीच दिनांकित समझौते के निष्पादन और रुपये के भुगतान पर निचली न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की। 3,50,000-विक्रेता द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जाता है।कि, वास्तव में, मूल वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के इनकार के खिलाफ पहले अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

/

/

/

4.4 यह आग्रह किया जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने सही अवलोकन किया है और कहा है कि 11.02.2004 दिनांकित समझौते को ऋण समझौता और/या प्रतिभूति दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, पहले अपीलीय न्यायालय ने सही ढंग से विशिष्ट निष्पादन का आदेश पारित किया जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा सही पुष्टि की गई है।4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

/

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जय प्रकाश के पक्ष में गुरमीत सिंह द्वारा दिनांकित समझौते के निष्पादन पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।विक्रेता द्वारा रुपये की आंशिक बिक्री के भुगतान पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।ट्रायल न्यायालय ने केवल इस आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन की राहत देने से इनकार कर दिया कि समझौते को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज के रूप में निष्पादित किया गया होगा।हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यहाँ तक कि निचली न्यायालय ने भी विशेष रूप से यह माना कि समझौता गुरमीत सिंह ए के बीच वैध रूप से निष्पादित किया गया था।

/

/

और जय प्रकाश बिक्री पर विचार के लिए।वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित करने से इनकार करने के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। प्रतिवादियों ने समझौते के निष्पादन और आंशिक बिक्री विचार के भुगतान पर निचली न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ पहली अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की।इसलिए, निचली न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि समझौते को बिक्री पर विचार के लिए वैध रूप से निष्पादित किया गया था, अंतिम रूप ले चुके हैं।6. आई. डी. 1 दिनांकित समझौते पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कहा है कि आई. डी. 1 दिनांकित समझौते को ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा आरोप लगाया गया है।हमने 11.02.2004 दिनांकित समझौते को भी देखा और उस पर विचार किया है।पूरे समझौते को पढ़ने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि 11.02.2004 दिनांकित समझौते को ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज कहा जा सकता है।केवल इसलिए कि दस्तावेज़ में संपत्ति की बिक्री का उद्देश्य विवाह के खर्च के लिए बताया गया था, दस्तावेज़ जिसे अन्यथा बेचने का समझौता कहा जा सकता है, ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज़ नहीं बन जाएगा।यदि समझौते को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो हम पाते हैं कि यह बेचने का समझौता है।दोनों, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों की ओर से मामले को सही ढंग से स्वीकार नहीं किया है कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तरह से निचली न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से यह मामला कभी नहीं था कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज है।निचली न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों ने समझौते के निष्पादन और रुपये की प्राप्ति से पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिसे निचली न्यायालय ने भी सही माना है।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, पहली बार, प्रतिवादी एक मामले के साथ सामने आए कि समझौता एक ऋण समझौता और/या सुरक्षा दस्तावेज है।

/

/

/

/

/

7. एक बार जब बिक्री के लिए बेचने के समझौते के निष्पादन पर विश्वास किया जाता है और यह पाया जाता है कि जय प्रकाश और उसके बाद, मूल वादी हमेशा समझौते के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार और इच्छुक थे और वास्तव में वे उप-पंजीयक, नीलोखेड़ी के समक्ष 10.02.2005 पर उपस्थित रहे, जिसे स्थापित और साबित किया गया है, तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ढंग से पारित की जाती है, जिसकी

उच्च न्यायालय द्वारा सही पुष्टि की जाती है।तथ्यों और परिस्थितियों में, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 के खंड (ए) और (सी) लागू नहीं होंगे और/या आकर्षित नहीं होंगे।हम.

/

/

806

/

[2022] 1 एस सी आर।

प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। हालांकि, साथ ही पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, हम मूल वादी को निर्देश देते हैं कि वे अपीलकर्ताओं-मूल प्रतिवादियों को अतिरिक्त रुपये का भुगतान करें, जो कि <ID2,000/- (<ID2,000/- को बिक्री समझौते के निष्पादन की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है, यानी वास्तविक भुगतान के लिए <ID1)।यह आगे निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के भुगतान पर मूल प्रतिवादी-यहाँ अपीलकर्ता यहाँ उत्तरदाताओं के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करेंगे-मूल वादी।8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

/

/

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/

/